

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(9) चिस्वा/2/2011

जयपुर, दिनांक : 23.12.2011

आदेश

ए.पी.एल./बी.पी.एल./राज्य कर्मचारी/पेन्शनर्स को चिकित्सा सुविधा यथा ओ.पी.डी./आई.पी.डी. व जांच आदि की सुविधा आमजन को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर की अनुमोदित/निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी युनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साईंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, जयपुर एवं गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, उदयपुर को अधिकृत किया जाता है।


भवदीय

—ह.—

(सुनील कुमार शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वा० मंत्री महोदय।
- 3- निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
- 4- उप सचिव एवं निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
- 5- निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग।
- 6- निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
- 7- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय।
- 7- मिशन निदेशक, एन०आर०एच०एम०, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
- 9- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- 10- समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
- 11- प्रधानाचार्य सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
- 12- अधीक्षक, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर।
- 13- चैयरमेन एवं मैनेजिंग ट्रस्टी, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, महात्मा गांधी युनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साईंसेज एण्ड टेक्नोलॉजी, जयपुर।
- 14- निदेशक, गीतांजली मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, उदयपुर
- 15- समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राज.।
- 16- प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राज० जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट एवं सभी संबंधित को ई-मेल व एस.एम.एस. तुरन्त करावें।
- 17- प्रभारी कंट्रोल रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवार्यें, राज० जयपुर।
- 18- रक्षित/निजी पत्रावली।

  
शासन सहायक सचिव